भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 318
उत्तर देने की तारीख 05 फरवरी, 2024
सोमवार, 16 माघ, 1945 (शक)

पी.एम.के.वी.वाई. के अंतर्गत नामांकित पुरूष और महिला

318. श्रीमती जसकौर मीना:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) आज की तारीख के अनुसार राजस्थान राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत नामांकित पुरूष/महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(ग) राजस्थान राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को क्या-क्या लाभ/सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(च) उक्त योजना की क्या उपलब्धियां रहीं और इस पर क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई;

(छ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को प्लेसमेंट की पेशकश की जा रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार होने में सक्षम बनाना है।

सिम के तहत, एमएसडीई देश के सभी युवा भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने और उन्हें बेहतर अवसरों के लिए नियोजनीय बनाने के उद्देश्य से अपनी प्रमुख स्कीम पीएमकेवीवाई कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2015-2022 के बीच, इस स्कीम के तीन संस्करण

विभिन्न दृष्टिकोण और कार्यनीति के साथ कार्यान्वित किए गए हैं। इस स्कीम के पहले चरणों के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 को पुनः तैयार किया गया है और पीएमकेवीवाई 4.0 की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

I. इंडस्ट्री 4.0, वेब 3.0, एआर/वीआर, क्लाइमेट चेंज, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी और एनर्जी ट्रांजिशन जैसे आधुनिक युग के कौशल पर फोकस करना।

II. आकलन, बेहतर अनुवीक्षण में नवाचारों के माध्यम से पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के तहत पुनर्कौशल और कौशलीकरण पर बल।

III. उम्मीदवारों को बेहतर व्यावहारिक अनुभव के लिए कार्यरत प्रशिक्षण (ओजेटी) पर अधिक निर्भरता।

IV. उद्योग के साथ भागीदारी में पाठ्यक्रम शुरू करके पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में लचीलापन।

V. शैक्षणिक संस्थाओं जैसे आईटीआई/स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/केंद्रीय और राज्य सरकार संस्थाओं आदि के साथ उपलब्ध बुनियादी ढांचे का परस्पर उपयोग।

(ख) दिनांक 31.12.22023 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान राज्य में कुल 6,68,108 पुरुषों और 4,84,752 महिलाओं को पीएमकेवीवाई के तहत नामांकित किया गया है।

(ग) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, कौशल विकास प्रशिक्षण के अलावा, उम्मीदवारों को वाहन लागत, भोजन और आवास, एक वर्ष के कवरेज के साथ दुर्घटना बीमा तथा प्रमाणीकरण के उपरांत ट्रैकिंग जैसे विभिन्न लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा, संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) पर उपलब्ध है। एसआईडी में जॉब एक्सचेंज विकल्प की सुविधा है, जो उम्मीदवारों को उपलब्ध जॉब की खोज करने और तदनुसार आवेदन करने में सक्षम बनाता है।

(घ) और (ङ) पीएमकेवीवाई 4.0 का लक्ष्य उच्च नियोजनीय कौशल वाले लगभग 1.5 करोड़ कौशल प्रमाणित उम्मीदवारों का एक पूल बनाना है।

(च) पीएमकेवीवाई के तहत वर्ष 2015 से दिनांक 31.12.2023 तक देशभर में 1.40 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें अन्य पिछड़े वर्ग के 44.52 लाख उम्मीदवार, अनुसूचित जाति के 18.21 लाख उम्मीदवार, अनुसूचित जनजाति के 6.75 लाख उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा, वर्तमान वर्ष में, 3.56 लाख उम्मीदवारों को पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

(छ) और (ज) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान किए गए हैं, और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) में पहले से मौजूद कौशल के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शामिल है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) प्लेटफॉर्म पर, इस स्कीम के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने का अवसर मिलता है और उनके पास जॉब नियोजन और शिक्षुता के लिए साधन होते हैं। वर्ष 2015 से दिनांक 31.12.2023 तक पीएमकेवीवाई के तहत 24.39 लाख एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों को जॉब मिलने की सूचना है।

*****